नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1992

धाराओं का क्रम

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. [निरसित ।]

3. विधिमान्यकरण ।

4. निरसन और व्यावृत्ति ।

नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1992

(1992 का अधिनियम संख्यांक 12)

[31 मार्च, 1992]

नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1992 है ।

(2) यह 27 अक्तूबर, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

[1]* * * * * * *

3. विधिमान्यकरण—(1) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी,—

(i) मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना संख्यांक का०आ० 867(अ०), तारीख 27 अक्तूबर, 1989; और

(ii) मूल अधिनियम या उक्त अधिसूचना के अधीन किसी वस्तु या वस्तुओं के किसी वर्ग का या किसी कीट या कीटों के किसी वर्ग का आयात करने के अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करने या उसका निरीक्षण, धूमीकरण, विसंक्रामण, निर्दूषण या पर्यवेक्षण करने के लिए उद्गृहीत या संगृहीत या उद्गृहीत या संगृहीत की जाने के लिए तात्पर्यित किसी फीस,

के बारे में सभी प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार विधिमान्य रूप से, यथास्थिति, निकाला गया और सदैव निकाला गया है या उद्गृहीत या संगृहीत किया गया है और तदनुसार,—

(क) इस प्रकार संगृहीत किस फीस के प्रतिदाय के लिए किन्हीं न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही न तो चलाई जाएगी न जारी रखी जाएगी ;

(ख) कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी इस प्रकार संगृहीत किसी फीस के प्रतिदाय का निदेश देने वाली कोई डिक्री या आदेश प्रवर्तित नहीं करेगा;

(ग) ऐसी कोई फीस, जो उद्गृहीत की गई है या उद्गृहीत की जाने के लिए तात्पर्यित है किंतु संगृहीत नहीं की गई है, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन वसूल की जा सकेगी; और

(घ) मूल अधिनियम के अधीन या उसके प्रयोजनों के लिए की गई कोई बात या कोई कार्रवाई अथवा की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई विधि के अनुसार विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 3 के उपबंध सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त रहे थे ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को—

(क) इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों या मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना के अनुसार ऐसी फीस के उद्ग्रहण या संग्रहण के बारे में आक्षेप करने से; या

(ख) इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या उक्त अधिसूचना के अधीन उसके द्वारा उससे शोध्य रकम से अधिक संदत्त की गई किसी फीस के प्रतिदाय का दावा करने से,—

निवारित करती है ।

4. निरसन और व्यावृत्ति—(1) नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्यांक 4) निरसित किया जाता है ।

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा (तारीख 3-9-2001 से) "धारा 2" निरसित ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

———————